न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 66/2013 (2013/00035) जिला–अजमेर

श्री भंवरलाल सुपुत्र स्व0 श्री पांचूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम अमृतपुरा गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन।

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्री पूसाराम सुपुत्र स्व0 श्री पांचूराम जाति कुमावत निवासी अमृतपुरा गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन।
2. श्रीमती गोगादेवी पुत्री स्व0 श्री पांचूराम जाति कुमावत निवासी अमृतपुरा गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन।
3. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री स्व0 श्री पांचूराम जाति कुमावत निवासी अमृतपुरा गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन।
4. श्रीमती सेफू देवी सुपुत्री स्व0 श्री पांचूराम जाति कुमावत निवासी अमृतपुरा गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन।
5. श्रीमती इमरती पुत्री स्व0 श्री पांचूराम जाति कुमावत निवासी अमृतपुरा गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन।
6. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 श्री पांचूराम जाति कुमावत निवासी अमृतपुरा गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन।
7. ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन तहसील पीसांगन।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 20–09–2013 एवं नामान्तकरण संख्या 497 दिनांक 7–9–2010 अन्तर्गत अपील संख्या 03/2012
बउनवान पूसाराम बनाम श्री भंवर लाल व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1

निर्णय

दिनांकः— 01—03—2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन स्थित भूमि की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 के अनुसार खाता नम्बर नया 321 पुराना 357 के खसरा नम्बर 348, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 एवं 383 कुल किता 15 कुल रकबा 12.19 हैक्टर भूमि के खातेदार पांचू, ऊमा पिसरान भोला कौम कुम्हार साकिन देह मजरा समरथपुरा खातेदार दर्ज है जिसके अनुसार विवादित आराजियात के 1/2 हिस्सा के सहखातेदार श्री पांचू पुत्र भूरा जिनका स्वर्गवास हो चुका है, के पश्चात अधीनस्थ अधिकारी ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ के द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 497 दिनांक 7—9—2010 को खातेदार श्री पांचू पुत्र भोला के समस्त वारिसान के नाम विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ के द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र जो गलत जारी किया गया है के आधार पर विरासत नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या—1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—9—2013 द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 497 दिनांक 7—9—2010 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, पीसांगन को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर विधिसममत नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरासत का नामान्तकरण संख्या 497 दिनांक 7—9—2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील विचाराधीन रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 7 श्रीमती फेफा देवी पत्नी स्व0 श्री पांचूराम कुमावत का स्वर्गवास दिनांक 6—7—2013 को हो चुका था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश मृतका श्रीमती फेफा देवी के विरूद्ध पारित कर दिया । साथ ही अपील से संबंधित पक्षकारान में से पक्षकार श्रीमती इमरती पुत्री स्व0 श्री पांचूराम को बिना नोटिस दिये, बिना नोटिस तामील करवाये अपीलाधीन आदेश पारित कर दियो जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में नामान्तकरण संख्या 497 दिनांक 7—9—2010 को त्रुटिपूर्ण है दर्शाया गया है परन्तु

उक्त नामान्तकरण को निरस्त नहीं किया गया जबकि विरासतन नामान्तकरण जो सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ के द्वारा विधि के प्रतिकूल पारित किया गया है जिसे भी निरस्त किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के पिता पांचूराम के स्वर्गवास के पश्चात ग्राम पंचायत के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 पूसाराम से मिलीभगत कर श्री पांचूराम पुत्र स्व0 श्री भोला के परिवार का गलत सजरा जारी किया गया एवं गलत सजरे के आधार पर अपीलाधीन विरासत नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 7 सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ को खातेदार पांचूराम के परिवार के समस्त सदस्यों की पूर्ण जानकारी होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 1 पूसाराम को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से गलत सजरा जारी किया गया उक्त गलत सजरे के आधार पर विरासत नामान्तकरण जो स्वीकृत किया गया है जो कूटरचित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–9–2013 को ही सुनाया गया एवं अपीलाधीन आदेश के अंत में निर्णय आज दिनांक 27–7–2011 अंकित की गई जो विधिसंगत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2013 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत, गोविन्दगढ़ द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने तहसीलदार, पीसांगन को प्रकरण रिमाण्ड कर नये सिरे से नामान्तकरण संबंधी निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया है। श्रीमती फेफा देवी पत्नी पांचूराम की मृत्यु होने पर तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो सही है। सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा जो गलत सजरा बनाया है इसे प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी चुनौती दी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण अपील को तहसीलदार को रिमाण्ड करना माना जो विधिविरूद्ध है। राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत विवादित प्रकरण का निस्तारण का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को प्रदत्त है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन स्थित खाता नम्बर 331 के खसरा नम्बर 348, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 एवं 383 कुल किता 15 कुल रकबा 12.19 हैक्टर भूमि के खातेदार

पांचू, ऊमा पिसरान भोला जाति कुम्हार की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। पांचू पुत्र भोला अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 के पिता है जिनका विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा निहित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तकरण संख्या 497 दिनांक 7–9–2010 में अंकित सजरे में भंवरी को पांचू की पत्नी बताया गया है उक्त सजरे के नीचे किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 25–4–2012 को जारी किया गया है उसमें फेफा देवी को पांचू पुत्र श्री भोला कुमावत की पत्नी दर्शा रखा है शेष अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 पुत्र–पुत्री दर्शा रखा है। उक्त स्थिति सन्देहास्पद दृष्टिगोचर होती है जिसकी जांच की जाना आवश्यक है। अपीलार्थी का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में दिनांक 20–9–2013 एवं अंतिम भाग में निर्णय आज दिनांक 27–7–2011 का अंकन का उल्लेख किया है इस संबंध में पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 1–5–2012 को प्रस्तुत की गई थी जिसे प्रकरण संख्या 3/12 पर दर्ज की गई थी। साथ ही आदेशिका दिनांक 20–9–2013 से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्णय दिनांक 20–9–2013 को ही जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 497 दिनांक 7–9–2010 त्रूटिपूर्ण होने के कारण तहसीलदार, पीसागन को श्री पांचू पुत्र भोला के विधिक वारिसानों की जांच कर दोनों पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही नये सिरे से करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय 20–09–2013 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 03/2012 पूसाराम बनाम श्री भंवरलाल व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर